न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :–हेमराज गुर्जर (आरएएस)

प्रकरण संख्या:–79 / 2024 दायर दिनांक:–12.06.2024

जीसीएमएस नं. 2024 / 194

1. प्यारसिंह पुत्र गंजेराम जाति माली निवासी भुकरावली तहसील सूरौठ जिला करौली राजस्थान।
2. श्रीराम गंजेराम जाति माली निवासी भुकरावली तहसील सूरौठ जिला करौली राजस्थान।
3. रीना पत्नि दानसिंह जाति माली निवासी भुकरावली तहसील सूरौठ जिला करौली राजस्थान।

––––––सायलान–02

बनाम

1. अमरसिंह पुत्र कंचन उम्र 72 साल
2. पदमसिंह पुत्र कंचन उम्र 78 साल
3. रूपसिंह पुत्र पदमसिंह उम्र 48 साल
4. रामचरण पुत्र रामनारायण उम्र 70 साल
5. लाखनसिंह पुत्र अमरसिंह उम्र 30 साल
6. वेदप्रकाश पुत्र रामचरण उम्र 40 साल

} जाति माली निवासी भुकरावली तहसील सूरौठ जिला करौली

––––––गैरसायलान–07

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित–1. श्री राधेश्याम शर्मा अधिवक्ता वादीगण

2. गैरसायलान 1 ता 6 एकपक्षीय कार्यवाही।

निर्णय दिनांक:– 22-11-24

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि सायलान ने जरिए वकील खिलाफ गैरसायलान प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि आराजी हाल खाता स. 203 के खसरा न0 650 रकबा 0.30 है0 वाके ग्राम भुकरावली, तहसील सूरौठ में स्थित है तथा सायलान व गैरसायल स. 2 लगायत 6 की संयुक्त कब्जेकाश्त व खातेदारी की आराजी हाल खाता सं. 204 के खसरा न0 651 रकबा 0.43 है0, 652 रकबा 0.41 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 0.84 है0 वाके ग्राम भुकरावली तहसील सूरौठ जिला करौली में स्थित है।

आराजीयात मुतजिक्रा मद न0 [illegible] गैरसायलान ने मौके पर बाहमी बंटवारा कर रखा है लेकिन आज तक विधिव[illegible]टवा[illegible]हीं हुआ है, इसलिये सायलान, गैरसायलान के मध्य आये दिन [illegible] विवाद होता रहता है। आराजी खसरा न0 650 में बबूल के तीन पेड व पीपल का एक पेड सामलाती [illegible] खसरा न0 650 में सामलाती बोर भी ही जिसमें से साय[illegible] व गैरसायलान अपने–अ[illegible]से भूमि की सिचांई करते हैं तथा मुताबिक बाहमी बंटवारा सायलान व गैरसायलान उक्त भूमि को काश्त कर उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:21:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

वाकया दिनांक 07.06.2024 को सुबह 9 बजे का है कि गैरसायलान अमरसिंह, पदमसिंह, रूपसिंह व लाखन आराजीखसरा न0 650 में खड़े सामलाती बबूल व पीपल के पेड़ों को काट रहे थे तब सायलान ने कहा कि भाईयों ये सामलाती पेड़ है, तुम इनको क्यों काट रहे हो तब गैरसायलान ने कहा कि ये कोई सामलाती पेड़ नहीं है तथा अब हम तुम्हें मुतजिका मद न0 2 प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि को काश्त नहीं करने देंगे तथा तुम्हें बेदखल करेंगे तथा उक्त भूमि को हम ही काश्त करेंगे तब सायलान ने कहा कि आप ऐसा अन्याय मत करो तथा तहसील में चलकर उक्त भूमि का विधिवत बंटवारा करवा लो तब गैरसायलान ने कहा कि हमें कोई बंटवारा नहीं करवाना, हम तो हमारे लट्ठ के जोर से ही तुम्हें इस भूमि से बेदखल करेंगे तथा तुम्हें कोई काश्त नहीं करने देंगे तब सायलान ने गैरसायलान से हाथ जोड़कर काफी अनुनय विनय किया परन्तु गैरसायलान ने सायलान की एक भी नहीं सुनी तब सायलान ने हाल राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी की नकल ली तथा उक्त प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र सायलान विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से इस प्रकार पाबंद फरमाया जावे कि हाल खाता सं. 203 के खसरा न0 650 रकबा 0.30 है0, खाता संख्या 204 के खसरा न0 651 रकबा 0.43 है0, खसरा न0 652 रकबा 0.41 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.84 है0 वाके ग्राम भुकरावली, तहसील सूरौठ, जिला करौली में सायलान के उपयोग उपभोग में बाधा मजाहमत न तो स्वयं पैदा करें और ना ही किसी अन्य से करावे तथा उक्त भूमि में स्थित पेड़ों को न काटे और ना ही सायलान को सामलाती बोर में से सिचाई करने रोके तथा ऐसा कोई कृत्य नही करे जिससे सायलान के हक–हकूकों पर विपरीत प्रभाव पड़े। मौके व रिकॉर्ड की स्थिति यथावत बनाये रखें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने पर गैरसायलान 1 ता 6 के विरूद्ध आदेशिका दिनांक 28.10.2024 द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत 2070–73 खाता संख्या 203, 204 वाके ग्राम भुकरावली तहसील सूरौठ पेश किये है।

सायलान वकील उपस्थित। सायलान वकील की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील सायलान ने दौराने बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया और सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण में सायलान वकील की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी संवत 2070–73 खाता संख्या 203, 204 वाके ग्राम भुकरावली तहसील सूरौठ जिला करौली का अवलोकन किया गया तो हम इस नतीजे पर पहुंचे कि संयुक्त खातेदारी की भूमि पर समस्त अंशधारी खातेदार पूर्णभूमि पर काबिज होते हैं तथा सायलान की दौराने दावा पेचिदगियाँ पैदा नहीं हों, मौ[illegible]स्थिति में परिवर्तन एवं अनावश्यक वादकरण बढ़ने की संभावना को दृष्टि[illegible]प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:21:50 IST
Reason: SelfAttested

अतः सायलान ने जरिए वकील खिलाफ गैरसायलान प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत प्रकरण में दिनांक 12.06.2024

Scanned with OKEN Scanner

को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल दावे के ताफैसला होने तक स्वीकार किया जाता है कि उभयपक्ष विवादित आराजी खसरा न0 650, 651, 653 वाके ग्राम मुकरावली तहसील सूरौठ की मौका की यथा स्थिति ताफैसला दावा तक बनाये रखें।

आदेश आज दिनांक 22-11-24 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:21:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner